Dept-2
Sub.

शेरशाह का पुलिस प्रबन्ध

शेरशाह का पुलिस-प्रबन्ध भी बड़ा कुशल था। उसने पुलिस प्रबन्ध के द्वारा राज्य में व्यवस्था स्थापित की। उसके पुलिस-प्रबन्ध की आज भी प्रशंसा की जाती है। पुलिस-प्रबन्ध की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।

(i) डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के अनुसार - शेरशाह के समय सेना ही पुलिस का कार्य भी करती थी। परगने में शिकदार एवं केन्द्र में मुख्य शिकदार द्वारा पुलिस सम्बंधी कार्य किया जाता था। वे अपराधियों को दंडित करते थे।

(ii) गाँव में पुलिस सम्बन्धी कार्य मुखिया द्वारा किया जाता था।

(iii) शेरशाह का दण्ड विधान बड़ा कठोर था। हत्या के अपराधी को न पकड़ पाने पर मुखिया को मृत्यु दण्ड दिया जाता था। अतः ऐसी व्यवस्था में यह प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य करती थी।

शेरशाह की पुलिस-प्रबंन्ध की प्रशंसा करते हुए अब्बास खाँ लिखते है - "शेरशाह के शासनकाल में एक बुढ़िया अपने सिर पर आभूषणों की गठरी रखकर बिना किसी भय के सफर कर सकती थी, क्योंकि शेरशाह की ओर से दिए जानेवाले दण्ड का इतना भय था कि कोई भी चोर अथवा डाकू उसके समीप आने का साहस नहीं कर सकता था।" डॉ० कानूनगो के अनुसार "शेरशाह की पुलिस प्रणाली उस समय की परिस्थियों के अनुकूल थी।"